

प्रारंभिक परीक्षा

DDoS अटैक ने कावेरी 2.0 को कैसे पंगु बना दिया?

संदर्भ

हाल ही में कर्नाटक के वेब-आधारित पोर्टल कावेरी 2.0, जिसका उपयोग संपत्ति पंजीकरण के लिए किया जाता है, को डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस(DDoS) अटैक के कारण सर्वर में व्यवधान का सामना करना पड़ा।

डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल-ऑफ-सर्विस (DDoS) अटैक के बारे में -

- **DDoS अटैक किसी लक्षित सर्वर, सेवा या नेटवर्क पर इंटरनेट ट्रैफिक की बाढ़ लाकर उसे बाधित करने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास है।**
- DoS (डिनायल ऑफ सर्विस) अटैक के विपरीत, जो एक ही स्रोत से आता है, DDoS अटैक में कई समझौता किए गए सिस्टम (बॉटनेट) का उपयोग किया जाता है।
- यद्यपि DDoS अटैक डेटा चोरी नहीं करते, लेकिन इनका उपयोग अन्य साइबर हमलों (जैसे डेटा उल्लंघन) के दौरान ध्यान भटकाने के लिए किया जा सकता है।

DDoS हमलों को कैसे रोका जा सकता है?

- **ट्रैफिक फ़िल्टरिंग तंत्र:** वैध और दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक के बीच अंतर करना।
- **निगरानी उपकरण:** वास्तविक समय में असामान्य ट्रैफिक पैटर्न की पहचान करना।
- **दर सीमित करना:** एक निश्चित समय के भीतर प्रति उपयोगकर्ता अनुरोधों की संख्या को सीमित करता है।
- **बॉट डिटेक्शन:** स्वचालित बॉट को ब्लॉक करने के लिए कैप्चा चुनौतियों और व्यवहार विश्लेषण का उपयोग करना।
- **नियमित सुरक्षा ऑडिट:** कमजोरियों के खिलाफ सिस्टम सुरक्षा को मजबूत करना।
- **साइबर सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग:** भविष्य के हमलों को रोकने के लिए खतरे की खुफिया जानकारी साझा करना।
- **साइबर जागरूकता प्रशिक्षण:** उपयोगकर्ताओं को फ़िशिंग और सोशल इंजीनियरिंग हमलों से बचने के लिए शिक्षित करना, जिनके कारण खातों से समझौता हो सकता है।

स्रोत: [The Hindu - How did a DDoS attack cripple Kaveri 2.0?](#)

अरावली सफारी पार्क परियोजना

संदर्भ

हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और नूह जिलों में 3,858 हेक्टेयर के अरावली सफारी पार्क का प्रस्ताव दिया है।

अरावली सफारी पार्क परियोजना के बारे में -

- यह हरियाणा की अरावली पहाड़ियों में 10,000 एकड़ में फैला एक प्रस्तावित वन्यजीव पार्क है।
- इस परियोजना में जानवरों के पिंजरे, होटल, रेस्तरां, वनस्पति उद्यान, एक्वेरियम और बहुत कुछ शामिल होगा।
- पूरा होने के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क होगा। (वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात में)
- चिंताएं:
 - जल की कमी वाले गुरुग्राम और नूह जिलों में भूजल भंडार को खतरा।
 - चूंकि परियोजना क्षेत्र संरक्षित वन भूमि के अंतर्गत आता है, अतः यह वन कानूनों का उल्लंघन है।
 - हरियाणा में वन क्षेत्र कम है (3.6%), जिसके लिए वाणिज्यिक परियोजनाओं की नहीं, बल्कि पुनः वनरोपण की आवश्यकता है।

WHAT THE PARK MAY HAVE

Entertainment zone | It would be designed along specific themes inspired from fiction or Indian mythological characters

The Safari Club | The recreation club would have leisure activities. It would also have venues to host conferences, large gatherings and even accommodation. An aquarium, zip flyer, cable car, canopy safari and tunnel walk will also be there

Eco village | It will take visitors through a cultural and culinary journey. It will have space for handicraft and handloom products and even fine dining. There may be open-air theatre, stalls, display galleries, kiosks and food outlets

Infrastructure | Road networks along with space for pedestrians. There would be elephant or horse rides as well as eco-trekking trails



अरावली पर्वतमाला का पारिस्थितिक महत्व -

- दक्षिणी गुरुग्राम और नूह में अरावली पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं।
- अरावली पर्वतमाला गुजरात के चंपानेर से उत्तर पूर्व में दिल्ली के निकट तक 690 किमी तक फैली हुई है।
- अरावली की प्रमुख पारिस्थितिक भूमिकाएँ:
 - मरुस्थलीकरण को रोकता है - पूर्वी राजस्थान में थार रेगिस्तान के प्रसार के खिलाफ एक बाधा के रूप में कार्य करता है।
 - भूजल पुनर्भरण - अत्यधिक खंडित और अपक्षयित चट्टानें पानी को रिसने देती हैं, जिससे जलभरों की भरपाई होती है।
 - समृद्ध जैव विविधता - यह क्षेत्र विविध प्रकार के वन्य जीवन और पौधों की प्रजातियों का घर है।

स्रोत: [The Hindu - Aravali safari park](#)

केंद्र सरकार जमा बीमा सीमा बढ़ाने की योजना बना रही है

संदर्भ

भारत सरकार बैंक जमा बीमा कवर को प्रति जमाकर्ता वर्तमान ₹5 लाख से आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है।

जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) के बारे में -

जमा बीमा (Deposit Insurance)

- जमा बीमा एक वित्तीय सुरक्षा जाल है जो जमाकर्ताओं को उनकी धनराशि की एक निश्चित राशि की गारंटी देकर बैंक की विफलता से बचाता है।
- भारत में जमा बीमा का प्रबंधन DICGC द्वारा किया जाता है।

- DICGC भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
- यह बैंक के दिवालिया होने की स्थिति में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंक जमाकर्ताओं को बीमा कवर प्रदान करता है।
- इसकी स्थापना 1978 में जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के तहत की गई थी।
- DICGC का मुख्य कार्य: जमा बीमा
 - बैंक के विफल होने की स्थिति में जमाकर्ताओं को बीमा कवरेज प्रदान करता है।
 - वर्तमान में प्रति बैंक प्रति जमाकर्ता ₹5 लाख तक की जमा राशि का बीमा करता है (मूलधन+ब्याज)।
- DICGC के अंतर्गत आने वाले बैंक:
 - वाणिज्यिक बैंक (सार्वजनिक, निजी, विदेशी बैंक)
 - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
 - स्थानीय क्षेत्र बैंक
 - शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)
 - राज्य एवं केंद्रीय सहकारी बैंक
 - बहिष्करण: प्राथमिक सहकारी समितियां।
- जमा बीमा कवरेज:
 - अधिकतम कवर: प्रति बैंक प्रति जमाकर्ता ₹5 लाख (4 फरवरी, 2020 से)।
 - कवर: बचत, सावधि, चालू और आवर्ती जमा।
 - बहिष्करण: भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं में जमा, सरकारी जमा और अंतरबैंक जमा।
 - बैंक की विफलता के मामले में: जमाकर्ताओं को 90 दिनों के भीतर DICGC के माध्यम से दावे प्राप्त होते हैं।

स्रोत: [The Hindu - Centre likely to raise deposit insurance limit](#)

कुंभ में नदी के पानी में उच्च स्तर के सूक्ष्मजीव पाए गए

संदर्भ

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सौंपी गई रिपोर्ट में प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के दौरान गंगा और यमुना नदियों में फेकल कोलीफॉर्म का उच्च स्तर पाया गया है।

CPCB रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष -

- स्नान के लिए असुरक्षित जल:
 - सभी निगरानी स्थानों पर नदी का पानी अत्यधिक फेकल कोलीफॉर्म (FC) स्तर के कारण स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहा।
 - सभी स्थानों पर 100 मिलीलीटर प्रति 2,500 यूनिट की अनुमेय सीमा पार हो गई थी।
- संदूषण का स्रोत:
 - शुभ स्नान के दिनों में तीर्थयात्रियों की भारी आमद ने फेकल बैक्टीरिया की सांद्रता में काफी वृद्धि की।
 - नदी में सीवेज डिस्चार्ज ने भी पानी की खराब गुणवत्ता में योगदान दिया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) -

- यह जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत 1974 में गठित एक वैधानिक निकाय है। इसे वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियां एवं कार्य भी सौंपे गए हैं।
- कार्य:
 - जल प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना।
 - वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना तथा वायु गुणवत्ता में सुधार करना।
 - जल और वायु प्रदूषण पर केंद्र सरकार को सलाह देना।

स्रोत: [The Hindu - High levels of microbes found in river water at Kumbh](#)

पौधों के लिए बैक्टीरिया से बना बैंडेज

संदर्भ

साइंस एडवांसेज में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में पौधों के लिए पट्टी या बैंडेज(bandage) के रूप में बैक्टीरियल सेल्यूलोज के उपयोग पर प्रकाश डाला गया है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष -

- **पौधों में घाव तेजी से भरना:**
 - प्रयोगशाला में दो पौधों की पत्तियों पर छोटे-छोटे कट लगाए गए।
 - बैक्टीरियल सेल्यूलोज पैच केवल आधे घावों पर ही लगाए गए।
 - **उपचार परिणाम:**
 - उपचारित घावों में से 80% से अधिक एक सप्ताह के भीतर ठीक हो गये।
 - इसी अवधि में उपचार न किये गये घावों में से 20% से भी कम घाव ठीक हुए।
 - **निष्कर्ष:** बैक्टीरियल सेल्यूलोज पौधों के घाव भरने की प्रक्रिया को काफी तेज कर देता है।
- **उन्नत वनस्पतिक प्रवर्धन:**
 - वनस्पतिक प्रवर्धन कृषि में एक सामान्य तकनीक है जिसका उपयोग कटिंग से आनुवंशिक रूप से समान पौधे उगाने के लिए किया जाता है।
 - अध्ययन में पाया गया कि बैक्टीरियल सेल्यूलोज इस प्रक्रिया को बढ़ाता है, जिससे यह अधिक कुशल हो जाती है।

बैक्टीरियल सेल्यूलोज क्या है?

- कुछ बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित एक प्राकृतिक बहुलक। इसका मानव चिकित्सा में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से घाव भरने के लिए।
- अब इसे कृषि अनुप्रयोगों के लिए खोजा जा रहा है।
- **संभावित कृषि अनुप्रयोग:**
 - **ग्राफ्टिंग को सुविधाजनक बनाना** - पौधों के ऊतकों को अधिक प्रभावी ढंग से एक साथ जोड़ने में मदद कर सकता है।
 - **कटे हुए पौधों की सामग्री को संरक्षित करना** - कटिंग में निर्जलीकरण और संक्रमण को रोकता है।
 - **प्रयोगशालाओं में वृद्धि माध्यम** - पादप ऊतक संवर्धन प्रयोगों के लिए सबस्ट्रेट के रूप में काम कर सकता है।

स्रोत: [Indian Express - Bacteria made Bandage for plants](#)

दिल्ली में आने वाले भूकंप हिमालय क्षेत्र में आने वाले भूकंपों से किस तरह अलग हैं?

संदर्भ

दिल्ली में 4 की तीव्रता का भूकंप आया, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे शक्तिशाली स्थानीय भूकंप था।

दिल्ली भूकंप-प्रवण क्यों है?


- **भूकंपीय क्षेत्र वर्गीकरण:**
 - दिल्ली भारत के भूकंप खतरे वाले मानचित्र के जोन-4 में आता है।
 - इस क्षेत्र को उच्च से मध्यम भूकंप जोखिम वाले के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे यह क्षेत्र देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में मजबूत भूकंपीय गतिविधि के प्रति अधिक संवेदनशील है।
- **अरावली-दिल्ली फोल्ड बेल्ट:**
 - अरावली-दिल्ली फोल्ड बेल्ट में स्थित है, जो एक भूकंपीय रूप से सक्रिय भूवैज्ञानिक क्षेत्र है जो राजस्थान से हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है।
 - इस क्षेत्र की विशेषता चट्टानों की विकृत परतें हैं, जो करोड़ों वर्ष पहले घटित टेक्टोनिक प्रक्रियाओं के कारण निर्मित हुई थीं।
- **स्थानीय तनाव क्षेत्र:**
 - इन चट्टानों के विरूपण ने स्थानीय तनाव क्षेत्रों का निर्माण किया है। समय के साथ, यह तनाव भूकंप के रूप में जारी हो सकता है, हालांकि हिमालय क्षेत्र की तरह उतनी बार या तीव्रता से नहीं।
- **हिमालयन फॉल्ट से निकटता:**
 - हालांकि दिल्ली हिमालय क्षेत्र की सक्रिय फॉल्ट लाइनों के उतना करीब नहीं है, फिर भी यह एक व्यापक टेक्टोनिक प्रणाली से जुड़ा हुआ है।
 - हिमालय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले भूकंप दिल्ली को प्रभावित कर सकते हैं, हालांकि यहां छोटे या मध्यम भूकंप आने की संभावना अधिक है।

Source: National Center for Seismology

Earthquake hazard map

Himalayans and north-east are among the most earthquake-prone regions of the world

- **ZONE V: Very High Damage Risk Zone (MSK IX or more)**
- **ZONE IV: High Damage Risk Zone (MSK VIII)**
- **ZONE III: Moderate Damage Risk Zone (MSK VII)**
- **ZONE II: Low Damage Risk Zone (MSK VI or less)**



*MSK scale measures susceptibility of an area to an earthquake. Based on the local geology and other factors, two places can feel a quake differently, even if equidistant from epicentre

Source: Vulnerability Atlas of India by Building Materials and Technology Promotion Council (BMTPC)

Important towns and earthquake zones they fall in

City	State	Zone
Bhuj	Gujarat	5
Darbhanga	Bihar	5
Guwahati	Assam	5
Imphal	Manipur	5
Jorhat	Assam	5
Kohima	Nagaland	5
Mandi	Himachal Pradesh	5
Port Blair	Andaman & Nicobar	5
Sadiya	Assam	5
Srinagar	Jammu & Kashmir	5
Tezpur	Assam	5
Almora	Uttarakhand	4
Ambala	Haryana	4
Amritsar	Punjab	4
Baharich	Uttar Pradesh	4
Barauni	Bihar	4

Source: Ministry of Earth Sciences

THE SOUND OF A QUAKE

MANY IN DELHI reported having heard a peculiar sound as the earth shook on Monday morning. The sound convinced many that this earthquake was "different".

EARTHQUAKES sometimes produce sound, but it is not always heard. Earthquakes are energy waves travelling through the ground, causing vibrations along the way.

VIBRATIONS and shaking do sometimes produce low-frequency sounds that are beyond the hearing capacity of human beings. Sounds in the audible range are relatively rare.

उथले भूकंप

- उथले भूकंप वे हैं जो पृथ्वी की सतह से 70 किमी के भीतर उत्पन्न होते हैं।
 - मध्यम भूकंप 70 से 300 किमी के बीच आते हैं और गहरे भूकंप 300 से 700 किमी के बीच आते हैं।
- वे भूकंपीय तरंगें उत्पन्न करते हैं जो सतह पर अधिक तेजी से और तीव्रता से पहुंचती हैं, जिससे वे आबादी वाले क्षेत्रों में संभावित रूप से अधिक विनाशकारी हो जाती हैं।

स्रोत: [The Hindu - Shallow earthquake](#)


संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality)

संदर्भ

हाल ही में, संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा का उपयोग भारतीय न्यायपालिका में कानूनों की व्याख्या करने और विधानों की संवैधानिक वैधता का आकलन करने के लिए तेजी से किया जाने लगा है।

संवैधानिक नैतिकता के बारे में -

- संवैधानिक नैतिकता से तात्पर्य संविधान में निहित मार्गदर्शक मूल्यों से है, जिन्हें संविधान की अखंडता और दूरदर्शिता को बनाए रखने के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए।
- यह संवैधानिक निर्णय में संप्रभुता, सामाजिक न्याय और समानता जैसे मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को शामिल करने के लिए शाब्दिक व्याख्या से परे जाता है।
- संवैधानिक नैतिकता संवैधानिकता का एक परिपक्व रूप प्रदान करती है, जो आवश्यक होने पर इसे चुनौती देने और सुधार करने की क्षमता के साथ संविधान के प्रति सम्मान को संतुलित करती है।
- यह संतुलन स्थिरता और परिवर्तन की अनुमति देते हुए कट्टरवाद की ओर बदलाव को रोकता है।
- **संवैधानिक देशभक्ति से अंतर:**
 - संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा **जुर्गन हेबरमास की संवैधानिक देशभक्ति** से अलग है, जो संविधान में साझा मानदंडों और मूल्यों के आधार पर एकजुटता और निष्ठा पर जोर देती है।
 - जबकि संवैधानिक नैतिकता प्रक्रिया और आलोचना पर केंद्रित है, संवैधानिक देशभक्ति एक एकल राष्ट्रीय पहचान की ओर अधिक झुकती है।
- **ऐतिहासिक उत्पत्ति:**
 - संवैधानिक नैतिकता की संकल्पना पहली बार ब्रिटिश वर्गवादी **जॉर्ज ग्रोटे** ने अपनी ऐतिहासिक कृति **ए हिस्ट्री ऑफ़ ग्रीस** में की थी।
 - **डॉ. अंबेडकर** ने संविधान के प्रारूप (1948) पर अपने भाषण में भी इस बात पर जोर दिया था कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए संवैधानिक नैतिकता को विकसित किया जाना चाहिए।



संवैधानिक नैतिकता के संबंध में महत्वपूर्ण मामले -

- **नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018):**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संवैधानिक नैतिकता का हवाला देते हुए तर्क दिया कि कानून को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए।
- **जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018):**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने धारा-497 को असंवैधानिक करार देते हुए उसे रद्द कर दिया तथा इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक नैतिकता यह अनिवार्य बनाती है कि कानूनों को किसी व्यक्ति के समानता और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

- **भारत संघ बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (2018):**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उच्च पदस्थ अधिकारियों को संवैधानिक नैतिकता का पालन करना चाहिए तथा प्राधिकार के मनमाने प्रयोग को रोकने के लिए संविधान में उल्लिखित आदर्शों को कायम रखना चाहिए।

स्रोत: [The Hindu - Constitutional morality: the origins and nuances](#)



समाचार संक्षेप में


भारत टेक्स(BHARAT TEX) 2025

- यह सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा आयोजनों(Textiles Events) में से एक का दूसरा संस्करण है।
- यह 12 कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषदों के संघ द्वारा आयोजित किया जाता है और कपड़ा मंत्रालय द्वारा समर्थित है।
- इसका उद्देश्य निर्माताओं, खरीदारों, उद्योग विशेषज्ञों और नवप्रवर्तकों सहित प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाकर भारत के कपड़ा उद्योग को दुनिया के सामने प्रदर्शित करना है।
- इस आयोजन में 120 से अधिक देशों ने भाग लिया है और इसमें 5,000 से अधिक प्रदर्शक शामिल हैं।
- मेले में परिधान, घरेलू सामान, तकनीकी कपड़ा, टिकाऊ कपड़ा और फैशन सहायक उपकरण शामिल होंगे।

स्रोत: [PIB - BHARAT TEX](#)

रामकृष्ण परमहंस

- उनका जन्म 1836 में पश्चिम बंगाल के कामारपुकुर में हुआ था। उनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था।
- रामकृष्ण ने अपना करियर कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में एक पुजारी के रूप में शुरू किया।
- उन्होंने केवल किताबी ज्ञान के बजाय ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव की वकालत की और निःस्वार्थ भक्ति (भक्ति) और ईश्वर के प्रति समर्पण पर जोर दिया।
- 1886 में गले के कैंसर के कारण उनका निधन हो गया।



स्वामी विवेकानंद पर प्रभाव

- स्वामी विवेकानन्द (नरेन्द्रनाथ दत्त) उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य बने।
- विवेकानन्द को वेदांत और भारतीय अध्यात्म को दुनिया भर में फैलाने के लिए प्रेरित किया।
- उनकी शिक्षाओं को बाद में स्वामी विवेकानन्द द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन द्वारा फैलाया गया।

स्रोत: [The Hindu - Ramkrishna Paramhansa](#)

संपादकीय सारांश

ताप विद्युत उत्पादन करने वाले राज्यों के प्रदूषण के बोझ को हल्का करना

संदर्भ

अगस्त 2022 में UNFCCC में पेरिस समझौते के तहत अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान(NDC) की प्रतिबद्धताओं के बावजूद, ताप विद्युत संयंत्र(Thermal Power Plants) भारत में बिजली का एक महत्वपूर्ण स्रोत बने हुए हैं।

भारत की अद्यतन NDC में प्रमुख प्रतिबद्धताएं -

- आर्थिक विकास के लिए जलवायु-अनुकूल और स्वच्छ मार्ग अपनाना।
- 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% कम करना (2005 के स्तर की तुलना में)।
- 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% संचयी स्थापित विद्युत क्षमता प्राप्त करना।
- 2030 तक 2.5-3 बिलियन टन CO₂ के बराबर कार्बन सिंक बनाना।
- ऊर्जा दक्षता बढ़ाना और टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना (मिशन LiFE)।
- विकास कार्यक्रमों में निवेश बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन को बेहतर ढंग से अपनाना।
- विकसित देशों से घरेलू और नये फंड जुटाना।
- जलवायु प्रौद्योगिकी के त्वरित प्रसार के लिए क्षमता निर्माण, घरेलू ढांचा और अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला तैयार करना।

ताप विद्युत उत्पादन: प्रदूषण का असंगत बोझ -

- **ताप विद्युत पर उच्च निर्भरता:** ताप विद्युत (मुख्यतः कोयला आधारित) भारत के विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिसके कारण उच्च कार्बन उत्सर्जन होता है।
 - **उदाहरण के लिए,** भारत में बिजली उत्पादन से 20,794.36 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन होता है।
- **कोयले का प्रमुख हिस्सा:** भारत में कुल ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 59.12% कोयले से आता है। 2022-23 में, लगभग 73.08% बिजली कोयले से उत्पन्न हुई, जबकि केवल 1.48% तेल और प्राकृतिक गैस से आई।
- **बिजली उत्पादन और खपत में असमानताएं:** कुछ राज्य (जैसे, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड) अपनी खपत से अधिक बिजली का उत्पादन करते हैं, जबकि अन्य (जैसे, गुजरात, महाराष्ट्र) बिजली का आयात करते हैं।
- **प्रदूषण का असमान वितरण:** ताप विद्युत का उत्पादन करने वाले राज्यों पर, इसका उपभोग करने वाले राज्यों की तुलना में प्रदूषण का असमान बोझ होता है।

तथ्य

- भारत में ताप विद्युत संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता **2,37,268.91 मेगावाट** है।
- **प्रमुख ताप विद्युत उत्पादक राज्य:** महाराष्ट्र (31,510.08 मेगावाट), उत्तर प्रदेश (26,729.374 मेगावाट) और गुजरात (26,073.41 मेगावाट) में 2022-23 में सबसे अधिक गैर-नवीकरणीय बिजली उत्पादन क्षमता थी।
- **ताप विद्युत का उच्चतम हिस्सा:** त्रिपुरा (96.96%), उसके बाद बिहार (95.57%), छत्तीसगढ़ (94.35%), झारखंड (92.69%), दिल्ली (87.96%), पश्चिम बंगाल (87.72%), और उत्तर प्रदेश (81.84%)।
- **शुद्ध विद्युत विक्रेता:** छत्तीसगढ़ 2022-23 में बिजली का सबसे अधिक शुद्ध विक्रेता (535.29 मेगावाट) है, इसके बाद मध्य प्रदेश (379.19 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश (153.43 मेगावाट), राजस्थान (135.14 मेगावाट), ओडिशा (95.40 मेगावाट) और मेघालय (55.22 मेगावाट) का स्थान है।
- **शुद्ध विद्युत आयातक:** गुजरात 2022-23 में बिजली का सबसे बड़ा आयातक (528.17 मेगावाट) है, इसके बाद हरियाणा (212.63 मेगावाट), महाराष्ट्र (187.50 मेगावाट), दिल्ली (162.97 मेगावाट), पंजाब (160.82 मेगावाट) और तमिलनाडु (128.37 मेगावाट) का स्थान है।

- **प्रदूषण के बोझ के लिए मुआवजे का अभाव**
 - **संवैधानिक बाधाएं:** राज्य बिजली की खपत और बिक्री पर कर लगा सकते हैं, लेकिन उत्पादन पर नहीं, जबकि केंद्र सरकार बिजली उत्पादन पर कोई विशिष्ट कर नहीं लगाती है।
 - **जीएसटी छूट:** एक वस्तु के रूप में बिजली को वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) से छूट दी गई है, और इसके संचरण या वितरण से संबंधित सेवाएं भी जीएसटी से मुक्त हैं।

मुआवजे के लिए प्रस्तावित समाधान -

- **ताप विद्युत उत्पादन पर कर लगाना:** उन राज्यों को, जहां केंद्रीय क्षेत्र के विद्युत संयंत्र स्थित हैं, ताप विद्युत उत्पादन पर कर लगाने की अनुमति देना, अथवा केंद्र सरकार उत्पादन कर एकत्रित कर सकती है तथा उसे उत्पादक राज्यों को हस्तांतरित कर सकती है।
- **वित्त आयोग के माध्यम से क्षतिपूर्ति:** भारत के वित्त आयोग का उपयोग करके एक राजकोषीय रोडमैप विकसित करना जो ताप विद्युत उत्पादक राज्यों को अन्य राज्यों की बिजली खपत के बोझ के लिए क्षतिपूर्ति करता है।

स्रोत: [The Hindu: Lighten the pollution burden of thermal power States](#)

मुसलमानों के लिए सामाजिक न्याय का मतलब आरक्षण नहीं होना चाहिए

संदर्भ

यह विचार कि "मुसलमानों के लिए आरक्षण एक बुरा विचार है" और "मुसलमानों के लिए सकारात्मक कार्रवाई आवश्यक है" विरोधाभासी लग सकता है।

समाचार के बारे में और अधिक जानकारी -

- यह विरोधाभास सामाजिक न्याय की सीमित कल्पना से उत्पन्न होता है, जहां सकारात्मक कार्रवाई को केवल सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के बराबर माना जाता है।
- भारत में सामाजिक न्याय पर बहस अक्सर आरक्षण की लड़ाई तक सीमित हो जाती है, जिसके कारण अनेक समुदाय आरक्षण की मांग करने लगते हैं, जिनमें पूर्व सैनिक, लैंगिक अल्पसंख्यक और विस्थापित व्यक्ति भी शामिल हैं।

पृष्ठभूमि -

- **2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट (SCR)** के बाद से मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग तेज हो गई है, जिसमें मुसलमानों को "सामाजिक-धार्मिक समूह" के रूप में वर्गीकृत करते हुए उनके सामने आने वाले गंभीर शैक्षिक और आर्थिक नुकसान को उजागर किया गया है।
 - यद्यपि SCR ने आरक्षण की सिफारिश नहीं की, लेकिन इसने बाद की मांगों के लिए मंच तैयार कर दिया।
- **2007 में, राष्ट्रीय भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक आयोग** ने नौकरियों और शिक्षा में अल्पसंख्यकों के लिए 15% कोटा, तथा विशेष रूप से मुसलमानों के लिए 10% कोटा का सुझाव दिया था।
- बढ़ती सामाजिक-राजनीतिक चुनौतियों के बीच विभिन्न मुस्लिम नेताओं और बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है।

नया दृष्टिकोण: मुसलमानों के लिए सकारात्मक कार्रवाई पर पुनर्विचार -

- **हिलाल अहमद, मोहम्मद संजीर आलम और नाज़िमा परवीन** द्वारा लिखित "समकालीन भारत में मुसलमानों के लिए सकारात्मक कार्रवाई पर पुनर्विचार" नामक एक हालिया रिपोर्ट में अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण का सुझाव दिया गया है। इसमें तीन मुख्य तर्क दिए गए हैं:
 - मुसलमानों के लिए सकारात्मक कार्रवाई उनके सामाजिक-आर्थिक नुकसान के कारण आवश्यक है।
 - संपूर्ण मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण कानूनी, समाजशास्त्रीय और राजनीतिक कारणों से कोई व्यवहार्य समाधान नहीं है।
 - विभिन्न मुस्लिम समुदायों को होने वाले विशिष्ट नुकसानों को दूर करने के लिए "नीतियों का एक गुलदस्ता" अपनाया जाना चाहिए।

ब्लैंकेट आरक्षण(Blanket Reservation) के खिलाफ प्रमुख तर्क -

- **कानूनी-संवैधानिक मुद्दे:** भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। न्यायपालिका ने संवैधानिक बाधाओं के कारण धार्मिक समुदायों को "सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों" के रूप में वर्गीकृत करने के प्रस्तावों को ऐतिहासिक रूप से खारिज कर दिया है।
- **सामाजिक विविधता:** मुस्लिम समुदाय एकरूप नहीं है; इसमें कई बिरादरी (उप-समूह) शामिल हैं, जिनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति अलग-अलग है। यह विविधता समान आरक्षण नीतियों के क्रियान्वयन को जटिल बनाती है।
- **राजनीतिक परिणाम:** व्यापक आरक्षण के प्रस्ताव से मुसलमानों के विरुद्ध जवाबी लामबंदी भड़क सकती है, जिससे राजनीतिक रूप से आवेशित वातावरण में मौजूदा तनाव और बढ़ सकता है।

वैकल्पिक नीतियों के लिए सिफारिशें -

रिपोर्ट में व्यापक आरक्षण के स्थान पर बहुआयामी दृष्टिकोण की वकालत की गई है:

- **धर्म-अज्ञेयवादी कोटा दृष्टिकोण:**
 - **ओबीसी सूची में शामिल करना:** सुनिश्चित करना कि सभी पिछड़े मुस्लिम समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची में मान्यता दी जाए।
 - वर्तमान में, केवल आधे मुसलमान ही ओबीसी लाभ के लिए पात्र हैं, जबकि साक्ष्य बताते हैं कि 75% से अधिक मुसलमान इस मानदंड को पूरा करते हैं।
 - **ओबीसी श्रेणियों का विभाजन:** विभिन्न मुस्लिम समुदायों के बीच विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए ओबीसी के भीतर "अत्यंत पिछड़ा" और "पिछड़ा" जैसी अलग-अलग श्रेणियां बनाना।
- **अछूत मुस्लिम समुदायों को संबोधित करना:** "अछूत" मुस्लिम समुदायों को अनुसूचित जाति (एससी) के रूप में वर्गीकृत करने से रोकने वाले प्रतिबंधों को हटाना। इससे दलित मुसलमानों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
- **भेदभाव विरोधी उपाय:** अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से भेदभाव विरोधी कानूनों की निगरानी और उन्हें लागू करने के लिए एक समान अवसर आयोग की स्थापना करना।
- **बुनियादी ढांचा और क्षेत्रीय समर्थन:** मुस्लिम आबादी की उच्च सघनता वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए एक स्थानिक दृष्टिकोण को लागू करना।
 - बुनाई और कालीन निर्माण जैसे उद्योगों में मुख्य रूप से मुसलमानों को रोजगार देने के लिए राज्य के समर्थन को बढ़ावा देना, ताकि इन समुदायों के भीतर आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
- **निजी क्षेत्र के साथ सहभागिता:** कठोर कोटा लागू किए बिना सरकारी प्रोत्साहनों के माध्यम से निजी क्षेत्र की विविधता को प्रोत्साहित करना, क्योंकि इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- **सामुदायिक भागीदारी:** केवल राज्य तंत्र पर निर्भर रहे बिना स्थानीय आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक संगठनों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

जबकि भारत में मुसलमानों द्वारा सामना किए जाने वाले सामाजिक-आर्थिक नुकसान को दूर करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की सख्त आवश्यकता है, एक सूक्ष्म दृष्टिकोण आवश्यक है। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के कारण व्यापक आरक्षण सबसे प्रभावी समाधान नहीं हो सकता है। इसके बजाय, यह लक्षित नीतियों का प्रस्ताव करता है जो समुदाय के भीतर विविधता को पहचानते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसरों को बढ़ावा देते हैं। इस ढांचे का उद्देश्य सामाजिक विभाजन या राजनीतिक तनाव को गहरा किए बिना सामाजिक न्याय की ओर एक स्थायी मार्ग प्रदान करना है

स्रोत: Indian Express: Social Justice, not just quota

वैल्यू एडिशन(Value Addition)

प्रधानमंत्री मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा

रक्षा साझेदारी

- **भविष्य के लिए रूपरेखा:** इस वर्ष 21वीं सदी में अमेरिका-भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए एक नई दस-वर्षीय रूपरेखा पर हस्ताक्षर करने की प्रतिबद्धता।
- **अमेरिकी रक्षा वस्तुओं का एकीकरण:** भारत के भंडार में अमेरिकी मूल की रक्षा वस्तुओं के महत्वपूर्ण एकीकरण की स्वीकृति। उल्लेखित उदाहरण: C-130J सुपर हरक्यूलिस, C-17 ग्लोबमास्टर III, P-8I पोसिडॉन विमान, CH-47F चिनूक, MH-60R सीहॉक्स और AH-64E अपाचे, हार्पून एंटी-शिप मिसाइल, M777 हॉवित्जर और MQ-9Bs।
- **रक्षा बिक्री और सह-उत्पादन का विस्तार:** रक्षा बिक्री और सह-उत्पादन का विस्तार करने की योजना। भारत में "जैवलिन" एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों और "स्ट्राइकर" इन्फैंट्री कॉम्बैट वाहनों के लिए इस वर्ष नई खरीद और सह-उत्पादन व्यवस्था की योजना बनाई गई है।
- **P-8I विमान:** छह अतिरिक्त P-8I समुद्री गश्ती विमानों की खरीद पूरी होने की उम्मीद है।
- **विनियमनों को सुव्यवस्थित करना:** अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र यातायात विनियमन (आईटीएआर) सहित शस्त्र हस्तांतरण विनियमनों की समीक्षा।
- **रेसिप्रोकाल डिफेंस प्रोक्योरमेंट(RDP) समझौता:** रेसिप्रोकाल डिफेंस प्रोक्योरमेंट(RDP) समझौते के लिए इस वर्ष प्रारंभिक वार्ता का आह्वान।
- **रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग:** अंतरिक्ष, वायु रक्षा, मिसाइल, समुद्री और समुद्री प्रौद्योगिकियों में रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने का संकल्प। अमेरिका भारत को पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और समुद्री प्रणालियां जारी करने की अपनी नीति की समीक्षा करेगा।
- **ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्री एलायंस (ASIA):** हिन्द-प्रशांत में उद्योग भागीदारी और उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई पहल। एंडुरिल इंडस्ट्रीज और महिंद्रा ग्रुप और एल3 हैरिस और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच साझेदारी का उल्लेख किया गया।
- **सैन्य सहयोग:** उन्नत प्रशिक्षण, अभ्यास और संचालन के माध्यम से सभी क्षेत्रों में सैन्य सहयोग को बढ़ाना।
- **"टाइगर ट्रायम्फ" अभ्यास:** आगामी "टाइगर ट्रायम्फ" त्रि-सेवा अभ्यास (पहली बार 2019 में उद्घाटन किया गया) बड़े पैमाने और जटिलता के साथ भारत में आयोजित किया जाएगा।
- **रसद और खुफिया जानकारी साझा करना:** हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी और भारतीय सेनाओं की विदेशी तैनाती को समर्थन देने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता, जिसमें रसद और खुफिया जानकारी साझा करना भी शामिल है।

व्यापार और निवेश

- **"मिशन 500":** द्विपक्षीय व्यापार के लिए एक साहसिक नया लक्ष्य - जिसका लक्ष्य 2030 तक कुल द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना से अधिक बढ़ाकर 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना है।
- **द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA):** वर्ष 2025 तक पारस्परिक रूप से लाभकारी, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के पहले चरण पर बातचीत करने की योजना।
- **व्यापार बाधाओं को संबोधित करना:** संयुक्त राज्य अमेरिका ने बोरबॉन, मोटरसाइकिल, आईसीटी उत्पादों और धातुओं के क्षेत्रों में अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम करने के लिए भारत के हाल के उपायों का स्वागत किया, साथ ही अल्फाल्फा घास और बत्तख के मांस जैसे अमेरिकी कृषि उत्पादों और चिकित्सा उपकरणों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के उपायों का भी स्वागत किया। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को भारतीय आमों और अनार के निर्यात को बढ़ाने के लिए अमेरिकी उपायों की भी सराहना की।
- **ग्रीनफील्ड निवेश:** अमेरिकी और भारतीय कंपनियों के लिए एक-दूसरे के देशों में उच्च मूल्य वाले उद्योगों में ग्रीनफील्ड निवेश करने के अवसर पैदा करने की प्रतिबद्धता।
- **चालू निवेश:** भारतीय कंपनियों द्वारा लगभग 7.35 बिलियन डॉलर का निवेश (हिंडाल्को की नोवेलिस, जेएसडब्ल्यू, एप्सिलॉन एडवांस्ड मैटेरियल्स और जुबिलेंट फार्मा)।

ऊर्जा सुरक्षा

- **अमेरिका-भारत ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी:** तेल, गैस और असैन्य परमाणु ऊर्जा सहित अमेरिका-भारत ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी के प्रति पुनः प्रतिबद्धता।
- **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी:** अमेरिकी पक्ष ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए अपना दृढ़ समर्थन व्यक्त किया।
- **ऊर्जा व्यापार:** ऊर्जा व्यापार को बढ़ाने की प्रतिबद्धता, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और तरलीकृत प्राकृतिक गैस का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।
- **असैन्य परमाणु समझौता:** अमेरिका-भारत 123 असैन्य परमाणु समझौते को पूरी तरह लागू करने की प्रतिबद्धता। भारत में अमेरिका द्वारा डिजाइन किए गए परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना। भारत सरकार परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु रिएक्टरों के लिए परमाणु क्षति अधिनियम (सीएलएनडीए) के लिए नागरिक दायित्व में संशोधन करेगी।

प्रौद्योगिकी और नवाचार

- **यूएस-इंडिया ट्रस्ट ("रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर संबंधों में परिवर्तन") पहल:** महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल।
- **एआई अवसंरचना रोडमैप:** वर्ष के अंत तक एआई अवसंरचना में तेजी लाने के लिए अमेरिका-भारत रोडमैप प्रस्तुत करने हेतु निजी उद्योग के साथ काम करने की प्रतिबद्धता।
- **इंडस इनोवेशन:** सफल इंडस-एक्स प्लेटफॉर्म के आधार पर तैयार किया गया एक नया नवाचार सेतु, जो अमेरिका-भारत उद्योग और शैक्षणिक साझेदारी को आगे बढ़ाएगा तथा अंतरिक्ष, ऊर्जा और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा देगा।
- **आपूर्ति श्रृंखला:** सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिजों, उन्नत सामग्रियों और फार्मास्यूटिकल्स सहित विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने की प्रतिबद्धता। महत्वपूर्ण दवाओं के लिए सक्रिय फार्मास्यूटिकल अवयवों के लिए अमेरिका सहित भारतीय विनिर्माण क्षमता का विस्तार करने के लिए सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की योजना।
- **महत्वपूर्ण खनिज:** अनुसंधान और विकास में सहयोग को गति देना तथा संपूर्ण महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला में निवेश को बढ़ावा देना, साथ ही खनिज सुरक्षा भागीदारी के माध्यम से। रणनीतिक खनिज पुनर्प्राप्ति पहल की शुरुआत, भारी उद्योगों से महत्वपूर्ण खनिजों (लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी सहित) को पुनर्प्राप्त करने और संसाधित करने के लिए एक नया यूएस-भारत कार्यक्रम।
- **नागरिक अंतरिक्ष सहयोग:** अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री को लाने के लिए एक्सओम के माध्यम से नासा-इसरो प्रयास की योजना, तथा संयुक्त "निसार" मिशन का शीघ्र प्रक्षेपण।
- **विज्ञान और अनुसंधान:** महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान में अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन और भारतीय अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के बीच नई साझेदारी।
- **निर्यात नियंत्रण:** सरकारें निर्यात नियंत्रण को संबोधित करने, उच्च प्रौद्योगिकी वाणिज्य को बढ़ाने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में बाधाओं को कम करने के लिए प्रयासों को दोगुना कर देंगी।

बहुपक्षीय सहयोग

- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र:** अमेरिका और भारत के बीच घनिष्ठ साझेदारी एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है।
- **क्वाड साझेदारी:** इस बात पर पुनः जोर दिया गया कि क्वाड साझेदारी आसियान की केन्द्रीयता की मान्यता पर आधारित है।
- **क्वाड लीडर्स समिट:** प्रधानमंत्री मोदी क्वाड लीडर्स समिट के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रपति ट्रम्प की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं।
- **मध्य पूर्व सहयोग:** मध्य पूर्व में भागीदारों के साथ सहयोग बढ़ाने, कूटनीतिक परामर्श बढ़ाने और ठोस सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया गया। 2025 में नई पहलों की घोषणा करने के लिए अगले छह महीनों के भीतर भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर और I2U2 समूह के भागीदारों को बुलाने की योजना है।

- **हिंद महासागर क्षेत्र:** अमेरिका हिंद महासागर क्षेत्र में विकासात्मक, मानवीय सहायता और शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका की सराहना करता है।

